फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी रूपलाल विपक्षी उदयलाल

किस्म मुकदमा 251 'ठ' RT Act पत्रावली संख्या 111/24 सन्

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	23/10/24 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रति./विपक्षी/रेस्पो. को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किये जाकर पत्रावली बाद तलबी दि० 20/11/24 को पेश हो। TDR थाना को भिन्दूवार Report हेतु लिखा जावे। सहायक कलक्टर (SDO) मावली	
	7/11/24 पत्रावली आज पेश हुई। पार्टी मय वादी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वो राजस्व संबंधी प्रार्थना पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। पत्रावली आज अधिवक्ता के एवं पार्टी के उपस्थित होकर तलब करने पर पेश हुई। अधिवक्ता एवं पार्टी एवं उक्त पत्रावली निस्तारित करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें पत्र निस्तारित का अधिवक्ता एवं स्वयं पार्टी को प्रकट कराया गया। अधिवक्ता एवं स्वयं पार्टी ने आपस में समझ कर सही लेख स्वीकार किया। और निवेदन किया कि नया प्रकरण प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उक्त प्रकरण निस्तारित किया जाकर खारिज किया जावे। चूंकि आवेदक पार्टी Signature Not Verified [illegible] उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं [illegible] उक्त प्रकरण को आगे चलाये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः पार्टी [illegible] का स्वीकार किया जाकर [illegible] धारा 251 ठ RT Act [illegible] किया जाकर खारिज किया जाता है। [illegible] होकर नस्ती से [illegible] किया जाकर सुनाया गया। सहायक कलक्टर (SDO) मावली	रूपलाल

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:46:26 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर कार्यालय मावली जिला-उदयपुर